

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 13/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 13/05/2025 को दोपहर 02:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 28/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 28/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 28/04/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) दिव्या एक्सपोर्ट्स - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

2.1. 2.1 मेसर्स दिव्या एक्सपोर्ट्स के प्रोपराइटर श्री मुकेशकुमार मांगीलाल शाह ने आभासी अनुमोदन समिति की बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे आभूषणों का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें वे आयात करके घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बाजार में बेच रहे हैं और अब उन्होंने आभूषणों का विनिर्माण और निर्यात करने का निर्णय लिया है।

2.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स दिव्या एक्सपोर्ट्स को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए "(i) सादे चांदी के आभूषण (71131141) (10000 किलोग्राम/वर्ष); (ii) अन्य रत्नों से जड़े चांदी के आभूषण (71131149) (15000 किलोग्राम/वर्ष); (iii) हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (500 किलोग्राम/वर्ष); (iv) मोतियों से जड़े सोने के आभूषण (71131912) (50 किलोग्राम/वर्ष); (v) प्राकृतिक हीरे से जड़े सोने के आभूषण (71131913) (50 किलोग्राम/वर्ष); (vi) प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे (सीवीडी) से जड़े सोने के आभूषण (71131914) (50 किलोग्राम/वर्ष); (vii) अन्य कीमती, अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए" (71131915) (100 किलोग्राम/वर्ष); (viii) अन्य रत्नों से जड़े स्वर्ण आभूषण (71131919) (50 किलोग्राम/वर्ष); (ix) सादे प्लेटिनम आभूषण (71131921) (50 किलोग्राम/वर्ष); (x) प्राकृतिक हीरे से जड़े प्लेटिनम आभूषण (71131923) (50 किलोग्राम/वर्ष); (xi) कृत्रिम हीरे से जड़े प्लेटिनम आभूषण (71131924) (50 किलोग्राम/वर्ष); (xii) अन्य कीमती, अर्ध-कीमती रत्नों से जड़े प्लेटिनम आभूषण (71131925) (50 किलोग्राम/वर्ष)" के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन, अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अधिकृत परिचालन/एचएस कोड को दर्शाते हुए विधिवत हस्ताक्षरित संशोधित फॉर्म-एफ प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि स्वीकृति पत्र (LOA), फाइल पर विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

(3) रूंगटा गोल्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1. सुश्री छवि रूंगटा, निदेशक और श्री मंजीत सिंह, मेसर्स रूंगटा गोल्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। सुश्री छवि ने अनुमोदन समिति को बताया कि वर्तमान में उनकी नई दिल्ली में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में एक मौजूदा इकाई है।

3.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 11/02/2025 के पत्र के माध्यम से, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) ने वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया था कि वह सभी संबंधितों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत सोने के आभूषण / चांदी के आभूषण में लगी इकाइयों के संबंध में उचित दिशानिर्देश / मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने पर विचार करे। वाणिज्य विभाग को यह भी सूचित किया गया था कि पूरी तरह से मशीनीकृत सोने के आभूषणों के प्रस्ताव, जो वर्तमान में जांच की प्रक्रिया में हैं, को इस विषय पर वाणिज्य विभाग से अगले निर्देशों तक रोक कर रखा जाएगा। हालांकि, दिशानिर्देशों में तेजी लाने के लिए इस संबंध में वाणिज्य विभाग को भेजे गए अनुस्मारक के बावजूद इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11/02/2025 के संबंध में वाणिज्य विभाग से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में "हैंडक्राफ्टेड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के निर्माण - एचएस कोड 71131911 (200 किलोग्राम/वर्ष)" के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स रूंगटा गोल्ड वेंचर्स प्राइवेट

लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। यह मंजूरी हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण के संबंध में अनुमानित मूल्य संवर्धन विवरण प्रस्तुत करने और कच्चे माल के सही आईटीसी एचएस कोड का उल्लेख करते हुए संशोधित विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करने के अधीन होगी। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि फाइल पर विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की मंजूरी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा।

(4) स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

4.1. मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री जय कांत गुप्ता और प्रबंधक श्री सुभाष अग्रवाल ने अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुप्ता ने बताया कि वे मौजूदा इकाई से बाहर निकलने की औपचारिकताएं पूरी करेंगे और इस नई इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में नया निवेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा बड़ी फैक्ट्री सेटअप पर घटते ऑर्डर और निरंतर उपरि खर्चों के कारण उन्हें बाहर निकलने और मौजूदा इकाई के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन चूंकि क्षेत्र के भीतर उनके कुछ नियमित ग्राहकों ने पैकेजिंग सामग्री की खरीद में गहरी रुचि दिखाई है और उन्हें पैकेजिंग सामग्री की सुचारू उपलब्धता के लिए क्षेत्र में बने रहने का अनुरोध किया है, इसलिए उन्होंने ऐसे ग्राहकों की सेवा करने और क्षेत्र से कुछ निर्यात करने के लिए छोटे परिसर में एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है।

4.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास प्लॉट संख्या 149, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में 'पॉलिएस्टर बैग/रोल/शीट/लेबल (मुद्रित और सादे) का विनिर्माण और व्यापार; पॉलिथीन/पॉलीप्रोपाइलीन बैग/रोल/शीट/लेबल (मुद्रित और सादे); बीओपीपी बैग/रोल/शीट/लेबल (मुद्रित और सादे); सिकुड़ने वाली फिल्म रोल/बैग; स्ट्रेच फिल्म रोल; बॉक्स स्ट्रैपिंग; स्वयं चिपकने वाला टेप और लेबल, स्टिकर, बेल्ट और ज़िप; कागज और पॉलिथीन से बने टैग; पेपर रील और पॉलिथीन; पैकेजिंग सामग्री के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 11/01/2013-परियोजना/12650 दिनांक 09/12/2013 के अनुसार एक मौजूदा इकाई है। हाल ही में, 14/01/2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने उक्त इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट नंबर 149 में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मेसर्स स्वाम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को बाहर निकलने और स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इकाई को अभी अंतिम निकास औपचारिकताएं पूरी करनी हैं।

4.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद, सिद्धांत रूप से मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित का निर्माण किया जाएगा: (i) स्वयं चिपकने वाले टेप/स्टिकर/पॉलीथीन या प्लास्टिक लेबल (20 सेमी से अधिक नहीं) (39191000) (50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष); (ii) स्वयं चिपकने वाले टेप/स्टिकर/पॉलीथीन या प्लास्टिक

लेबल (39199010) (50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष); (iii) सिकुड़ने वाली फिल्म रोल/बैग (39201019) (1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष); (iv) बॉक्स स्ट्रैपिंग (39202010) (50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष); (v) स्ट्रेच फिल्म रोल (39206190) (250 मीट्रिक टन प्रति वर्ष); (vi) पॉलिएस्टर बैग/रोल/शीट/लेबल (मुद्रित और सादे) (39211900) (250 मीट्रिक टन /वर्ष); (vii) बीओपीपी बैग / रोल / शीट (मुद्रित और सादा) (39232100) (250 मीट्रिक टन /वर्ष); (viii) पॉलिथीन / पॉलीप्रोपाइलीन बैग / रोल / शीट / लेबल (मुद्रित और सादा) (39233100) (1000 मीट्रिक टन /वर्ष); (ix) पॉलिथीन से बने टैग (39262031) (250 मीट्रिक टन /वर्ष)। यह अनुमोदन कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों / सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि अनुमोदन पत्र केवल इकाई से आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के साथ-साथ मौजूदा इकाई के संबंध में निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि स्वीकृति पत्र (LOA) फाइल पर विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

(5) प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज) - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

5.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राहुल भटनागर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज) के स्वीकृति पत्र (LOA) को मौजूदा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए कम अवधि यानी 31/12/2025 तक के लिए नवीनीकृत किया। यह अनुमोदन कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को उचित रिकॉर्ड के रखरखाव में इकाई की ओर से किसी भी कमी को अनुमोदन समिति के ध्यान में लाने का निर्देश दिया।

(6) एम एम निटवेयर्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

6.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश पिल्लई और श्री अजीत राघव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री महेश पिल्लई ने अनुमोदन समिति को बताया कि पिछले ब्लॉक के दौरान वे मेसर्स ईशक्ति डॉट कॉम की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के लिए जॉब-वर्क कर रहे थे। हालाँकि, ईशक्ति डॉट कॉम अब एनसीएलटी में दिवालियापन की कार्यवाही के अधीन है। उन्होंने आगे बताया कि अब वे विदेशी ग्राहकों को निर्यात करने की योजना बना रहे हैं जिसके लिए वे धन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अगले 4 महीनों के भीतर धन की व्यवस्था करने और निर्यात शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वे अगले 10-15 दिनों के भीतर बकाया लीज किराया चुका देंगे।

6.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 26.09.2022 के नवीनीकरण की शर्तों के अनुसार, इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 53(ए)(एच) के अनुसार जॉब-वर्क

गतिविधि के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) के अनुसार मुफ्त विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, इकाई ने सूचित किया है कि उन्होंने eShakti.com के लिए जॉबवर्क किया और भुगतान भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त हुआ। इकाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जॉब-वर्क की कुल राशि 2,77,95,393/- रुपये है।

6.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मौजूदा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए मेसर्स एमएम निटवेयर्स के स्वीकृति पत्र (LOA) को एक वर्ष की छोटी अवधि यानी 13/03/2026 तक के लिए नवीनीकृत किया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड)(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मेसर्स एमएम निटवेयर्स के खिलाफ एफटी(डीएंडआर) अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जॉब वर्क के बदले भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त किया था। इस उद्देश्य के लिए, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके निर्णय के लिए अधिकृत किया।

(7) आर ए इंटरनेशनल - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

7.1 इकाई के भागीदार श्री दिनेश वर्मा और श्री महेश कुमार वर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

7.2. अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 31.03.2024 तक तीसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 31.03.24 तक पिछले ब्लॉक अवधि के दौरान यूएसडी के संदर्भ में न्यूनतम मूल्य संवर्धन हासिल किया है।

7.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पांच साल के चौथे ब्लॉक यानी 17/06/2030 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए मेसर्स आर ए इंटरनेशनल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि अधिकृत संचालन 'हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (120 किलोग्राम/वर्ष) का निर्माण किया जा सके। इस अनुमोदन समिति ने इकाई को पिछले ब्लॉक के दौरान आईएनआर अवधि में सीए प्रमाणित वर्षवार मूल्य संवर्धन उपलब्धि और वैध ईपीसीईएस सदस्यता की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(8) आरएफबी दस्ताने - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

8.1. इकाई के भागीदार श्री हीरादीप रात्रा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उन्हें स्वीकृति पत्र (LOA) में अनुमोदित मौजूदा उत्पादों के विनिर्माण के लिए ईटीपी प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों से सभी प्रासंगिक एनओसी/प्रमाणपत्र पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि हालांकि, उन्हें विनिर्माण की प्रस्तावित वस्तुओं के लिए ईटीपी प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि विनिर्माण प्रक्रिया में सीसा अर्क की भागीदारी होगी।

8.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि वह मौजूदा स्वीकृत प्राधिकृत संचालन के संबंध में विनिर्माण प्रक्रिया और पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों की पूर्ति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करे, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों से प्राप्त ऐसे एनओसी/प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत करे। इसके अलावा, इकाई को विनिर्माण की प्रस्तावित वस्तु के संबंध में निर्धारित पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों और अपेक्षित अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(9) अक्ससिया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड- स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

9.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राहुल भटनागर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को बताया कि कोविड-19 के कारण इकाई 2020-21 में बंद थी और 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ। उन्होंने अक्टूबर, 2024 में गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है और मार्च 2025 में उन्होंने अपने खरीदारों को कुछ नमूने निर्यात किए हैं।

9.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अक्ससिया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा स्वीकृत प्राधिकृत परिचालनों के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) को कम अवधि यानी 31/12/2025 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे नवीनीकरण पर इकाई के संतोषजनक निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ही विचार किया जाएगा।

(10) इंडस वैली पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने और प्रदर्शन की निगरानी का अनुसमर्थन।

10.1. अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 2019-20 से 2023-24 के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी। अनुमोदन समिति ने 17.01.2025 के पत्र के माध्यम से इकाई को अनुमोदित अतिरिक्त अधिकृत संचालन यानी 'प्रबंधन परामर्श सेवाएं (सीपीसी-865)' के अनुमोदन की भी पुष्टि की।

(11) दीपक केयर लिमिटेड - निष्पादन की निगरानी।

11.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री संगीता चौरसिया और श्री नंदन सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और मामले को समझाया।

11.2. अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के अनुसार निर्यात के सही एफओबी मूल्य को शामिल करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(12) बाबा ग्लोबल लिमिटेड - निष्पादन की निगरानी।

12.1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 2021-22 के दौरान, इकाई ने 3510.76 लाख रुपये के सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के साथ 3557.70 लाख रुपये के निर्यात के एफओबी मूल्य के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) दिया है, हालांकि, अनजाने में, सदस्यों को प्रसारित कार्यसूची में इस वर्ष के आंकड़े 'शून्य' के रूप में उल्लेखित किए गए थे।

12.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2023-24 तक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी।

इकाइयों के प्रतिनिधियों के विशेष अनुरोध पर तथा अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, निम्नलिखित प्रस्ताव भी अनुमोदन समिति के समक्ष विचार-विमर्श/विचार-विमर्श हेतु टेबल कार्यसूची के रूप में रखे गए:-

(13) आयोनिक रिसर्च लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण तथा निष्पादन की निगरानी।

13.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश मेहता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी मेसर्स आयोनिक इनोवेशन ने इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन किए हैं, जिनका उपयोग महाकुंभ 2025 और मार्च, 2025 में गोवा कार्निवल में किया गया। उन्होंने बताया कि 24/02/2025 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उन्होंने संयुक्त रूप से ईवी विकसित करने, परीक्षण करने और संचालन करने के लिए एनीटाइम, लंदन के साथ हस्ताक्षरित समझौतों की प्रतियां जमा कर दी हैं और मार्च 2025 तक का पट्टा किराया भी जमा कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई में इलेक्ट्रिक बसों का आयात करेंगे और प्रोटोटाइप किट और होमोलोगेशन प्रक्रिया के परीक्षण के बाद इन बसों को ग्राहकों को निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि समिति द्वारा उनके स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण किया जाता है, तो इकाई को मार्च, 2026 तक लगभग 50 करोड़ का निर्यात होने की उम्मीद है।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को 31/03/2026 तक नवीनीकृत करके इकाई को अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे नवीनीकरण पर इकाई के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ही विचार किया जाएगा।

(14) एप्पी पाई एलएलपी - प्लॉट नंबर 55ए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों को टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने और बाहर निकलने का प्रस्ताव।

14.1. मेसर्स एप्पी पाई एलएलपी के भागीदार श्री अभिनव गिरधर और मेसर्स टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अर्जुन उप्पल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

14.2. श्री अभिनव ने अनुमोदन समिति को बताया कि लगभग 2999.7 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला प्लॉट नंबर 55ए नीलामी के माध्यम से उनके द्वारा लिया गया था, जिस पर एक मौजूदा भवन संरचना है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने फरवरी, 2020 में परिचालन शुरू किया था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2023 में उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक नए भवन के पुनर्निर्माण की योजना के साथ उक्त भवन संरचना को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि इकाई के दो साझेदार इकाई के एकमात्र कर्मचारी हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनके पास एक और मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है जो प्लॉट नंबर 165 और 166, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में संचालित है। इसलिए, अब उन्होंने अपने परिचालन को एक एकल स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत समेकित करने और प्लॉट संख्या 55 ए पर स्थित इकाई से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74 ए के तहत मेसर्स टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण किया है। टिनियस ओल्सन के श्री अर्जुन उप्पल ने यह भी कहा कि उनकी एक विनिर्माण इकाई है और इस क्षेत्र में लगातार अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रदर्शन कर रही है और वे मेसर्स एप्पी पाई के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द परिसर के हस्तांतरण के बाद निर्यात गतिविधियों का विस्तार करके अपनी इकाई से निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं।

14.3. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 08.04.2025 को इस कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम द्वारा प्लॉट संख्या 55-ए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एप्पी पाई एलएलपी के परिसर का निरीक्षण किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्लॉट के बीच में लगभग 10'x10' का एक पोर्टा केबिन रखा हुआ था और पोर्टा केबिन में एक छोटी मेज, तीन कुर्सियाँ और एक लैपटॉप रखा हुआ था, जबकि निरीक्षण के समय कोई भी व्यक्ति काम करते हुए नहीं पाया गया। पोर्टा केबिन के अलावा कोई अन्य संरचना/इमारत अस्तित्व में नहीं पाई गई। प्लॉट पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया था।

14.4. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के पश्चात पाया कि मेसर्स एप्पी पाई एलएलपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा करता है। समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इकाई ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण नीति के अनुसार नीलामी में प्लॉट पर भवन संरचना खरीदी थी तथा प्रस्तावित हस्तान्तरितकर्ता एक विनिर्माण इकाई है, जो नियमित निर्यात करती है

तथा जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तथा हस्तान्तरितकर्ता इकाई के पास ज़ोन से निर्यात बढ़ाने, बुनियादी ढांचे पर निवेश करने तथा देश के लिए अधिक रोजगार/विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अच्छी संभावनाएं हैं, प्लॉट संख्या 55ए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में ध्वस्त संरचना, यदि कोई हो, सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निकास एवं हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मेसर्स टिनियस ओल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देने का निर्णय लिया। यह (i) हस्तान्तरितकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं की पूर्ति (ii) लागू हस्तांतरण शुल्कों के भुगतान तथा (iii) हस्तान्तरितकर्ता द्वारा हस्तान्तरितकर्ता की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को अपने अधीन लेने के संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने विशेष रूप से निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मेसर्स एम्पी पाई एलएलपी के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को 30/09/2025 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

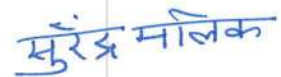
14.5. इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत साइट निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, परियोजना अनुभाग को इकाई के कामकाज/प्रदर्शन की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें घर से काम करने के लिए दी गई आवश्यक सूचना/ली गई अनुमति, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क और निर्यात से प्राप्त रिपोर्ट, निवेश, इकाई द्वारा किए गए रोजगार/अन्य प्रासंगिक इनपुट, यदि कोई हो, शामिल हैं, संपदा प्रबंधन अनुभाग की टिप्पणियां लेने और इकाई से बाहर निकलने से पहले नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अंतिम अनुमोदन देने से पहले/उस समय निगरानी के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(किरण मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त



(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त